संख्या:324 /2015/2411/35-4-2015

प्रेषक ,

शमीम अहमद खान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जौनपुर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ:दिनांक 17दिसम्बर,2015

विषय: वर्ष 2015-16 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद जौनपुर के **ग्राम सभा हौज विकास खण्ड सिरकौनी में जलापूर्ति हेतु नई टंकी का निर्माण** कार्य को लागत रू. 427.92 लाख (जिसमें अधिष्ठान व्यय एवं 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि सम्मिलित है) पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 213.96 लाख (रूपये दो करोड़ तेरह लाख छियान्वे हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस कार्य के लिए कार्यदायी संस्था उ0प्र0 जल निगम होगी :-

1- स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

2- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।

3- शासनादेश संख्या-10/2015-427/35-1-2015 दिनॉक 10 अप्रैल,2015 के क्रम में उक्त कार्य का अनुश्रवण ई-परियोजना प्रबंधन के अंतर्गत किया जायेगा। इसके लिये निम्नलिखित सूचनायें स्वीकृति निर्गत होने के एक पक्ष के अन्दर शासन को अवश्य उपलब्ध करा दी जाये:-

अ- परियोजना प्रबन्धक का नाम/पदनाम
ब- परियोजना प्रबन्धक का मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आईडी
(परिवर्तन होने पर अद्यावधिक सूचना शासन को उपलब्ध कराई जाये)
स- परियोजना प्रारम्भ हाने की अनुमानित/वास्तविक तिथि
द- परियोजना पूर्ण करने की अनुमानित तिथि

4- स्वीकृति निर्गत होने की तिथि से एक पक्ष में परियोजना को अलग-अलग चरणों में विभाजित करते हुये प्रत्येक चरण को पूर्ण करने की संभावित तिथियों का निर्धारण किया जायेगा। यह कट-आफ तिथियॉ माइलस्टोन के रूप में जानी जायेगी। इन माइलस्टोन्स में टेण्डर प्रक्रिया, अन्य विभागों से आवश्यक स्वीकृतियॉ/ अनापत्तियॉ, निर्माण कार्य के अलग-अलग चरण, उपकरण क्रय, सृजित अवस्थापना को संबंधित विभाग को हस्तान्तरित कर क्रियाशील बनाना आदि सम्मिलित होगा। इसी आधार पर कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा शासन द्वारा आनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से की जायेगी।

5- हौज ग्राम समूह की टंकी का निर्माण ग्राम सभा की आराजी नम्बर 1446/0.02 हे0, 1447/0.146 हे0, एवं 1449/0.291 हे0 आबादी की भूमि में से 0.101 हे0 भूमि पर किया जायेगा।

6- पेयजल हेतु टंकी का निर्माण करने से पूर्व स्थलीय निरीक्षण उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय -12 के प्रस्तर -318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी।

7- विस्तृत आगणन तैयार करते समय दो प्रतिशत की दर से कन्टीजेन्सी अनुमन्य होगी।

8- प्रश्नगत कार्यों के लिए नियमानुसार 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

9- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि आहरित कर बैंक / डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

10- स्वीकृत की जा रही धनराशि जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।

11- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च,2016 तक पूर्णरूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2016 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2016 तक प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

12- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमामिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2015 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।

13- जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणात्मक कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा।

14- कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/ उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। इस संदर्भ में अधिकृत थर्ड पार्टी निरीक्षणकर्ता को भी अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।

15 - स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिलाधिकारी का होगा और उनके द्वारा तदनुसार नियोजन विभाग को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रेषित की जायेगी ।

16 - परसिम्पत्ति के सृजन के उपरांत इसके रखरखाव हेतु सम्बंधित ग्राम पंचायत को हस्तगत कर दिया जायेगा।

17 - अवमुक्त धनराशि का निर्धरित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

18 - निर्माण कार्यों को निर्धारित विशिष्टियों/ मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जायेगा।

19- नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा

20 - त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय व्ययक में अनुदान संख्या- 40 -आयोजनागत-लेखाशीर्ष- 4215 -जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत -01- जलपूर्ति -102- ग्रामीण जलपूर्ति -03-त्वरित आर्थिक विकास योजना- 01-जलपूर्ति कार्यक्रमों के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- बी-1-2457/ दस- 2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई,2014 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शमीम अहमद खान)
विशेष सचिव

संख्या:324/2015/2411 (1)/35-4-2015 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1-प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2-महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3-प्रमुख सचिव/सचिव ग्राम्य विकास/नगर विकास / कृषि विपणन ।
4-प्रमुख सचिव, वित्त।
5-निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी ।
6-मण्डलायुक्त, वाराणसी।
7-मुख्य विकास अधिकारी, जौनपुर।
8-प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, जौनपुर।
9-वरिष्ठ कोषाधिकारी, जौनपुर।
10-गार्ड फाईल।
11-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12-राज्य योजना आयोग-1
13-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, जौनपुर।

आज्ञा से ,

(शमीम अहमद खान)
विशेष सचिव